न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 49 / 2021
जी.सी.एम.एस रजिस्ट्रेशन नं. :2021 / 57

		अभियुक्त :–
राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	श्री कल्पेश जैन पुत्र श्री नटवरलाल जैन (घी विक्रेता) निवासी नई आबादी, विद्या निकेतन स्कूल वाली गली, बडौदिया, मु.पो. बडौदिया, जिला बॉसवाडा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15–11–2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज.) के द्वारा दिनांक 06–10–2021 को यह इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 04–11–2020 को 12.40 पी. एम. बजे श्री कल्पेश जैन के खिलाफ नकली घी बेचने की शिकायत प्राप्त होने पर डॉ. प्रवीण लबाना, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागीदौरा, पुलिस कॉस्टेबल चौकी बागीदौरा, थाना कलिंजरा एवं टिम सदस्य श्री हीरालाल आचार्य कनिष्ठ सहायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा के साथ श्री कल्पेश जैन पुत्र श्री नटवरलाल जैन (घी विक्रेता) निवासी नई आबादी, विद्या निकेतन स्कूल वाली गली, बडौदिया, मु.पो. बडौदिया, जिला बॉसवाडा पर पहुंचा। यहॉ पर श्री कल्पेश जैन पुत्र श्री नटवरलाल जैन (घी विक्रेता) उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन – 2020 दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ लायसेंस प्रस्तुत नही किया। विक्रेता के मकान के निरीक्षण के दौरान हॉल में 8 पीपे रखे पाये गये जिनमें चार पर महाकोष का हरा लेबल, एक पर कोई लेबल नही, एक पर रत्ना गोल्ड प्लस, 2 पर Nutritive नारंगी लेबल लगा हुआ परन्तु उस पर खाद्य पदार्थ का कोई नाम अंकित नही पाया, साथ ही प्लास्टिक की 5 पीपी 5 किग्रा वाली एवं 3 पीपी 4 किग्रा वाली भी रखी पायी। पुछने पर विक्रेता ने इन सभी में घी [illegible]ताया, तथा सभी में एक ही प्रकार का घी भरा होना बतलाया, जो दाहोद [illegible] जनता को बेचने हेतु रखा जाना होना बताया, आस पास के लोगो को गवाही हेतु बुला[illegible]या किन्तु कोई गवाह तै[illegible] हुआ इस पर साथ आये अधिकारियों कर्मचारियों के गवाह हस्ताक्षर करवाये। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में घी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:52 IST
Reason: SelfAttested

का निरीक्षण करने पर अनसेफ एवं सब स्टेण्डर्ड का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर घी का वास्ते जॉच हेतु नमूना लेने की सूचना देते हुए पीपे एवं पीपी में से एक लम्बे डण्डी वाले चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिलाकर 800 ग्राम घी वास्ते जॉच हेतु साफ सुखी स्टील की भगौनी में खरीदा तथा इनकी कीमत 80 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। नमूना जॉच हेतु क्रय किये गये 800 ग्राम घी को विक्रेता तथा गवाहान की उपस्थिति में कॉच के चार साफ, सुखे व खाली जारो में बराबर बराबर (प्रत्येक में करीब 200 ग्राम) भरकर प्रत्येक जार का मुह ढक्कन की सहायता से कस कर एयर टाईड बन्द किया। इन चारो नमूना जारो पर लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-664 चिपकाया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। चारो नमूना भागो को नियमानुसार सील बन्द किया गया तथा अपने जाप्ते में किया। शेष घी को पीपों व पीपीयों सहित बडे सन्दुक में रखकर सीज किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के पत्रांक एफ एसएसए / 2020/ 269 दिनांक 06.11.2020 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 236 दिनांक 06.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया घी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZZ)(iv)(vi)&(xi) के तहत अनसेफ होना पाया गया है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के पत्रांक एफ एसएसए / 2020/ 268 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिर्पोट के विरुद्ध अपील हेतु नोटिस दिया गया। श्री कल्पेश जैन द्वारा खाद्य विश्लेषक की रिर्पोट के विरुद्ध नमुने का द्वितीय भाग जॉच हेतु प्रपत्र 8 में अपील अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा को प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा नमुने का द्वितीय भाग निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री मैसूर को पूनः जॉच हतु भिजवाया। निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री मैसूर से प्राप्त विश्लेषण सर्टिफिकेट नंबर 10F/FSSA/2021 दिनांक 18.02.2021 के अनुसार नमुना क्रमांक W-664 खाद्य पदार्थ घी (खुला) सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, एवं विक्रेता के पास मौके पर खाद्य वस्तु बेचने का अनुज्ञापत्र नही पाया गया जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:52 IST
Reason: SelfAttested

धारा 31(2) सहपठित धारा 26(2)(v) का उल्लंघन है, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माना योग्य अपराध होने से दण्डित करने करने एवं साथ ही सीज किया गया शेष घी 156.200 किलोग्राम घी के निस्तारण हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 11–10–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 15–11–2021 को अभियुक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री मैसूर से प्राप्त विश्लेषण सर्टिफिकेट नंबर 10F/FSSA/2021 दिनांक 18.02.2021 के अनुसार नमुना क्रमांक W-664 खाद्य पदार्थ घी (खुला) सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। चुंकि रेफरल फुड लेबोरेट्री से प्राप्त रिर्पोट अंतिम रिर्पोट है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, एवं विक्रेता के पास मौके पर खाद्य वस्तु बेचने का अनुज्ञापत्र नही पाया गया जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(2) सहपठित धारा 26(2)(v) का उल्लंघन है, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 उल्लंघन होना पाया गया। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर जा[illegible]लाल जैन (घी विक्रेता) निवासी नई आबादी, विद्या निकेतन स्कूल [illegible] जिला बॉसवाडा को रुपया 20000/– (बीस हजार) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:52 IST
Reason: SelfAttested

जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का.मु.चि. एवं स्वा.अधि. बॉसवाडा सीज किये गये शेष घी 156.200 किलोग्राम घी का नियमानुसार निस्तारण कर रिर्पोट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 15–11–2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:52 IST
Reason: SelfAttested